कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: **आदेश** ::–

क्रमांक / कले / CO-19 / 2021 / 195 — कांकेर, दिनांक 24 अप्रैल, 2021

कोविड – 19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हाने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / कले / CO-19 / 2021 / 183 कांकेर दिनॉक 18 अप्रैल, 2021 द्वारा दिनॉक 19.04.2021 सायं 06.00 बजे से दिनॉक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर को कन्टेमेन्ट जोन घोषित किया गया है । वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमित धनात्मक प्रकरणों में वृद्धि के दृष्टिगत् कन्टेमेन्ट अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है ।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैं चंदन कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर निम्नांकित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कन्टेमेन्ट जोन की अवधि को बढ़ाते हुए **दिनॉक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे से दिनॉक 05.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक** कन्टेमेन्ट जोन घोषित किया जाता है ।
2. उपरोक्त दर्शित अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी ।
3. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।
4. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी । मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग–अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे ।
5. सभी प्रकार की मंडियॉ, थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेंगी किन्तु उक्त अवधि में **प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक** – फल, सब्जी, किराना सामाग्री / ग्रॉसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं अण्डा की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर / ठेले वालों / पिकअप / मिनीट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर होम डिलीवरी का बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा । आम जनता हेतु दुकान खोले बिना, दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी ब्वॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में उक्त सामानों की होम डिलीवरी की जा सकेगी । ई–कॉमर्स जैसे – अमेजन और फ्लिफकार्ट और स्थानीय ऑनलाईन दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु भौतिक रूप से दुकान या स्टोर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

Generated by CamScanner

संचालित नहीं होंगे । उपरोक्त गतिविधियों के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में वाहन/ठेले को जब्त करेंगे/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे ।

6. कन्टेमेन्ट अवधि के दौरान कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले/CO-19/2021/192 कांकेर दिनॉक 22.04.2021 में दी गई शर्तों के अनुसार रबी फसलों हेतु जिले के कीटनाशक दवा/रासायनिक खाद विक्रेताओं को **दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक** विक्रय की अनुमति होगी ।

7. नगरीय निकाय सीमा के बाहर/हाईवे पर स्थित ढाबा/होटल में केवल टेक–अवे सेवा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी ।

8. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी/एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई–पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन/सामाग्री आपूर्ति हेतु अनुमति प्राप्त होम डिलीवरी वाहन, कृषि कार्य में प्रयोजित वाहन (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर) तथा जिले में नहीं रूकते हुए एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

9. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वार समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि **प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक** ही होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु अन्य कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे । केवल दुग्ध दुकान/पार्लर को फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल टेक–अवे/पार्सल से दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी ।

10. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने हेतु **प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक** शॉप खोलने की अनुमति होगी ।

11. एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियॉ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे ।

12. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी ।

13. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकान बंद रहेंगी ।

14. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।

15. उपरोक्त अवधि मे कांकेर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेल्वे संचालन व रख–रखाव से जुडे कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

—3—

Generated by CamScanner

समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे ।

16. उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को ए.टी.एम.कैश रि–फिलिंग तथा आवश्यक लेन–देन यथा – दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन, चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा संबंधी, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, उद्योग/व्यवसाय एवं उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता, तरल ऑक्सीजन उत्पादक एवं शासकीय कार्यों से संबंधित लेन–देन एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु **प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक** संचालनक की अनुमति होगी । इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे ।

17. जिले के समस्त डाकघरों को महत्वपूर्ण डाक, पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी ।

18. गौण वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी ।

19. निर्माण कार्य – मनरेगा संबंधित समस्त कार्य, समस्त प्रगतिशील शासकीय एवं निजी निर्माण कार्य की अनुमति होगी ।

20. समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चॉवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी ।

21. कन्टेमेन्ट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु **CG COIVD-19 ePass** में वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा ।

22. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास–गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है । इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है ।

23. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे । इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वोले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे ।

24. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी । यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई–पास मान्य किया जावेगा । अपरिहार्य परिस्थितियों में कांकेर जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित हाने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकॉम संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जावेगा ।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

—4—

Generated by CamScanner

25. कोविड–19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड–19 जॉच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड –19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने–जाने की अनुमति होगी किन्तु **अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित होगा ।**

26. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वान में अधिकतम 02 व्यक्तियों के यात्रा की अनुमति होगी । रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

27. मीडियाकर्मी यथा संभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे ।

28. यह आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अस्पताल, थाना, पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवगमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।

29. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी ।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

यह आदेश दिनॉक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे से दिनॉक 05.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक लागू होगा ।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

(चंदन कुमार)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

—5—

Generated by CamScanner

पृ. क्रमांक / कले / CO-19/2021 / 195-A

कांकेर, दिनांक 24 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर ।
5. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
7. सर्व वनमण्डलाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
10. सिविल सर्जन, शासकीय कोमलदेव जिला चिकित्सालय, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
12. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी(पुलिस), जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
13. सर्व जिला स्तरीय अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
14. प्रबंधक, अग्रणी बैंक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
15. उप संभागीय निरीक्षक (डाक), जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
16. उप संचालक, जनसंपर्क, कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
17. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर, ।
18. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, ।
19. अध्यक्ष चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।

कलेक्टर
एवं जिलादण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़"

Generated by CamScanner